न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 207 / 2022

1. आस मौहम्मद पुत्र महमूद
2. कमरूद्दीन पुत्र इस्लाम
3. खुर्शीद पुत्र महमूद
4. दीनू पुत्र इसमाईल
5. नूरू पुत्र इसमाईल
6. सिराजुद्दीन पुत्र इस्लाम
7. हमीदी पुत्री इस्लाम जाति मेव निवासी ग्राम सटपुरा तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादीगण

दिनांक :– 21 / 09 / 2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 109 / 0.21, 372 / 0.41, किता 2 रकबा 0.62 हैक्टर बांके ग्राम सटपुरा तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्गान इस्लाम, इसमाईल, महमूद पिसरान मान खां की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर वादीगण के बुजुर्गान ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक काश्त की और उनके मरने के बाद वादीगण अपने–अपने हिस्से पर बहैसियत खातेदार कब्जा काश्त है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–17, 2017–20, 2023–26, 2029–32, 2037–40, 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2058–61, हाल खसरा सम्वत 2075–78, नकल खसरा गिरदावरी 2010–13, 2014–17, 2018–21, 2021–24, 2034–37, 2038–41, 2050–53 संलग्न है। आराजी पर निरन्तर रूप से कब्जा चला आ रहा है और हाल में भी मौके पर वादीगण की फसल खडी हुई है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है जो खिलाफ कानून है। वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगणी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 16/09/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये। जबाब पेश किया कि आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही पिता वादीगण काबिज काश्त था और अब आराजी पर वादीगण काबिज है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आज भी वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज हो रहा है मुताबिक कानून वादीगण को खातेदार दर्ज किया जाना न्याय संगत है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है और मौके पर वादीगण की फसल खडी हुई है एवं आराजी धारा 16 आर0टी0 एक्ट के अन्तर्गत नहीं आती है वादीगण को आराजी पर खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादीगण आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार दर्ज है। जिसे कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादीगण आराजी पर कब्जा काश्त है।

.....वादीगण

3 :– दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 दीनू, पी0डब्लू02 सिराजूद्दीन, पी0डब्लू03 कमरूदीन, पी0डब्लू04 खुर्शीद के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–17, 2017–20, 2023–26, 2029–32, 2037–40, 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2058–61, हाल खसरा सम्वत 2075–78, नकल खसरा गिरदावरी 2010–13, 2014–17, 2018–21, 2021–24, 2034–37, 2038–41, 2050–53 एवं मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> आया वादीगण आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार दर्ज है। जिसे कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16 में आराजी वादीगण के बुजुर्गान मानखां वल्द भड़ामची की गैर मौरोसी की आराजी थी। मानखां के मरने के बाद आराजी विरासतन वादीगण के बुजुर्गान

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है। जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2017–20 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। संलग्न रिकॉर्ड से साबित है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया वादीगण आराजी पर कब्जा काश्त है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16 में आराजी वादीगण के बुजुर्गान मानखां वल्द भड़ामची की गैर मौरोसी की आराजी थी। मानखां के मरने के बाद आराजी विरासतन वादीगण के बुजुर्गान के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है। जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2017–20 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। अतः उक्त तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 109/0.21, 372/0.41 किता 2 रकबा 0.62 हैक्टर बांके ग्राम सटपुरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/09/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)